(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/2260

1 श्रीमती नीलम पुत्री देवचरन गुप्ता
2 अमित कुमार पुत्र श्री देवचरन गुप्ता
निवासीगण–वार्ड क्रमांक 6 हरपालपुर तहसील नौगॉव जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1 मिथलेश चन्द्र पुत्र श्री लक्षमन दास सेठ
2 शिवचरन यादव पुत्र श्री रामकिशुन यादव
निवासीगण – हरपालपुर तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 06.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3.5.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.4.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ–3/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

06/04/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, आवेदकगण भूमि खसरा नं. 4405/2/मिन–1 रकवा 0.050 है0 स्थित ग्राम सरसेड तहसील नौगांव जिला छतरपुर के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है, जो उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से सुशील अग्रवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं राजस्व अभिलेखो में आवेदकगण का नाम इन्द्राज है।

2 यहकि, उपरोक्त भूमि खसरा नं. 4405/2/मिन–1 रकवा 0.050 है0 खसरा खतौनी में बंटाक के रूप में दर्ज है। परन्तु नक्शा बंटा दर्ज नहीं है ना ही तरमीम है। इसलिये उक्त भूमि के सीमांकन कराने में आवेदकगण को कानूनी वाधा आ रही है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उक्त खसरा नं. की भूमि का रकवा के आधार पर कब्जा के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार नौगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3 यहकि, तहसीलदार नौगांव द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 7/अ–3/2016–17 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी किन्तु तारीख पेशी दिनांक 21.07.2017 को आवेदिका न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी और न ही उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित हुये अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2018/2260

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दिनांक 21-7-17 को अदम पैरवी में खारिज किया गया था, जिसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदन आवेदक द्वारा दिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि आवेदन 30 दिवस की समयावधि में नहीं दिया गया है, निरस्त किया है । इस संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन विलंब से पेश किए जाने के संबंध में जो आधार दिए हैं तथा जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किए हैं, उनको देखते हुए प्रकरण पुर्नस्थापित किए जाने योग्य है । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	